Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

मालसिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी कूनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ बनाम रूप सिंह आदि

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 92/2021 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.07.2021	आज यह प्रार्थना पत्र मालसिंह ने जरिये श्री गणेशाराम अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 38 तादादी 5.17 हैक्टेयर (मय गैर मुमकिन रास्ता 0.06 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 6 तादादी 7.61 हैक्टेयर कुल तादादी 12.78 हैक्टेयर भूमि वाके रोही कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ में उभय पक्ष आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगणों को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो ज़रिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 04.08.2021 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों । अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 04.08.2021 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
4.8.2021	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 से 02 को जारी नोटिस वापस तामिल प्राप्त हुआ तो शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान जिला कलक्टर महो. निरीक्षण हेतु प्रस्थित हुए। पत्रावली अगले आगामी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिनांक 22.9.2021 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज
9.9.2021	आज मद पत्रावली प्रार्थी अभिभाषक के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही में लोक अदालत (प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी का आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। और इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहता हूँ। विड्रा की अनुमति प्रदान कर प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर निस्तारित करने की कृपा करें। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।